भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1137

जिसका उत्तर 08.02.2024 को दिया जाना है

सड़कों की मरम्मत

1137. श्रीमती रंजनबेन भट्ट:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में निर्मित सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के मुद्दे पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एवं रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है।

मंत्रालय ने उत्तरदायी रखरखाव एजेंसी के माध्यम से सभी रारा खंडों के रखरखाव और मरम्मत (एम एंड आर) को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य तंत्र विकसित किया है।

रारा खंडो का एम एंड आर, जहां विकास कार्य शुरू हो गए हैं या संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण (ओएमटी) रियायतें / संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) अनुबंध सौंप दिए गए हैं, वहाँ दोष देयता अवधि (डीएलपी)/रियायत अवधि के अंत तक संबंधित रियायतग्राही / ठेकेदार की जिम्मेदारी है। इसी तरह, टीओटी (टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर) और इनविट (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) के तहत किए गए रारा विस्तार के लिए, रियायती अवधि के अंत तक एम एंड आर की जिम्मेदारी संबंधित रियायतग्राही की होती है।

रारा के शेष खंडों के लिए, मंत्रालय ने अनुबंध रखरखाव के माध्यम से रखरखाव कार्य करने का नीतिगत निर्णय लिया है, जो या तो कार्य-निष्पादन आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी) या अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध (एसटीएमसी) है, जिससे रारा का कोई भी खंड बिना किसी जवाबदेह संविदात्मक रखरखाव एजेंसी के नहीं रहेगा।

*****